कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 1043/295/आउशि/शा.–5/2021 भोपाल, दिनांक 08/09/2021

प्रति,

1. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त/निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत सत्र 2021–22 से स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रम विषयक।

––000––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सक्षम अनुमोदन उपरांत अकादमिक सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में वार्षिक पद्धति के माध्यम से कियान्वयन संबंधी निर्णय लिया गया है –

2. म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 34–ए की उपधारा 5 के अन्तर्गत 79 विषयों के केन्द्रीय अध्ययन मंडलों का गठन किया गया। केन्द्रीय अध्ययन मंडल द्वारा स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी कार्यवाही की गई है। माननीय कुलाधिपति महोदय से प्राप्त सहमति के आधार पर 79 विषयों के वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रम अकादमिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के लिए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जा रहे हैं।

3. विश्वविद्यालयीन क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में 79 विषयों के अतिरिक्त संचालित अन्य विषयों के पाठ्यक्रम का निर्माण उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय स्तर पर गठित अध्ययन मंडल द्वारा किया जाये।

4. केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार एकीकृत पाठ्यक्रम प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालयों में समान रूप से लागू होगा। समस्त विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी एकीकृत पाठ्यक्रम को यथावत स्वीकार करते हुए सम्बंधित विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालय में गठित अध्ययन मण्डल के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं और विशेषज्ञता के आधार पर पाठ्यक्रम में 20 प्रतिशत वृद्धि कर सकेंगे।

5. इस संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि समस्त शैक्षणिक संस्थान संबंधित विषय के प्राध्यापकों के माध्यम से अपने–अपने विषय के पाठ्यक्रम विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
अपर आयुक्त,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

....निरंतर–2

पृ.क्र. 1044/आउशि/शा.–5 (अ)/2021 भोपाल, दिनांक 08/09/2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
6. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. कुलपति, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. अध्यक्ष, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. समस्त अग्रणी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
10. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा, संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

---की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर आयुक्त,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश